सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 78 / 2017

1 दलीप सिंह पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी ग्राम सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 बन्शीधर पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी ग्राम सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 04.10.2017
पास कर्दा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ बमुकदमा उनवानी दलीप सिंह
बनाम राजस्थान सरकार मु.नं. 21 / 2017

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 10.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 21/2017 में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम सोटवारा की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 705/59 रकबा 2.5414 हैक्टेयर गत खसरा नम्बर 59 मीटर प्रार्थी नम्बर 1 की खुदकाश्त खातेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के संलग्न ही वाकया कृषि भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 1.5142 हैक्टेयर गत खसरा नम्बर 53,54,56 प्रार्थी नम्बर 2 की खुदकाश्त खातेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण अर्सा दराज से निर्बाध तौर पर शांति पूर्वक काबिज काश्त है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 705/59 व कृषि भूमि खसरा नम्बर 59 में महमकाकाए माल के अधिकारीगण द्वारा प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पूर्वजों को बिना कोई नोटिस दिये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये राजस्व रिकार्ड व नक्शा शीट साबिक व नक्शा शीट नई में डोटेड लाईन से रास्ता कायम करते हुये राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से रास्ता दर्ज कर दिया तथा भूमि गत खसरा नम्बर 55 हाल खसरा नम्बर 683/59 तादादी 0.08 हैक्टेयर दर्ज करते हुये किस्म जमीन गैर मुमकिन रास्ता दर्शाया गया है। विचारण न्यायालय में वाद लम्बित है वाद के निस्तारण तक स्थगन जारी करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है मौके पर रास्ता अवस्थित नही है। राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती की घोषणा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वाद के निस्तारण से पूर्व विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाने चाहिए थे। अपीलांट के हक अधिकार का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना शेष है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही कर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है जो विधि सम्मत नही है। अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि का अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है मौके पर रास्ता अवस्थित होना अथवा नही होना दावे के निस्तारण में होना शेष है। राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती की घोषणा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। वाद के निस्तारण से पूर्व विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाने चाहिए थे। अपीलांट के हक अधिकार का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना शेष है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि खसरा नम्बर 53,54,56,705/59, 59 वाके ग्राम सोटवारा की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर